उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3

संख्या-10 /2019-सा-3-237/दस-2019-308(9)/2000 टी0सी0

लखनऊ: दिनाँक: 14 मार्च,2019

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

विषय:- दिनाँक 01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2017 की अवधि में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य में पेंशन पर हुये व्यय के प्रभाजन के फलस्वरूप उत्तराखण्ड सरकार को भुगतान।

वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक की अवधि में उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखण्ड राज्यों में पेंशन पर हुये व्यय के प्रभाजन हेतु महालेखाकार उ0प्र0 के पत्र संख्या-Book(C)/Pension Apportionment/59594 दिनांक 14-09-2018 एवं महालेखाकार, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या AC-D/ Apportionment Pension-UP/2017-18/896 दिनांक 17-11-2017 के क्रम में, महालेखाकार, उ0प्र0, एवं महालेखाकार, उत्तराखण्ड के मध्य आंकडों के मिलान तथा इंगित अवधि में दोनों राज्यों में पेंशन पर हुये व्यय के प्रभाजन के फलस्वरूप दोंनों राज्यों के मध्य परस्पर देयता के संबंध में सहमति की शर्त के अधीन कार्यालय-ज्ञाप संख्या-सा-3-01/2019/सा-3-1006/दस-2018-308(9)/2000 टी0सी0 दिनॉक 29 दिसम्बर, 2018 द्वारा तदर्थ रूप से रू0 531.8950 करोड (पांच सौ इकतीस करोड नवासी लाख पचास हजार मात्र), संख्या-सा-3-03/2019/सा-3-70/दस-2019-308(9)/2000 टी0सी0 दिनॉक 22 जनवरी, 2019 द्वारा तदर्थ रूप से रू0 600.00 करोड़ (रूपये छः सौ करोड़ मात्र) तथा संख्या-सा-3-07/2019/सा-3-199/दस-2019-308(9)/2000 टी0सी0 दिनॉक 18 फरवरी, 2019 द्वारा तदर्थ रूप से रू0 600.00 करोड़ (रूपये छः सौ करोड़ मात्र) इस प्रकार कुल रू0 1731.8950 करोड (एक हजार सात सौ इकतीस करोड नवासी लाख पचास हजार मात्र) का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर के माध्यम से अन्तर्राज्यीय समायोजन द्वारा उत्तराखण्ड सरकार को किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- एतद्द्वारा दोंनों राज्यों के मध्य परस्पर देयता के संबंध में सहमति की शर्त के अधीन तदर्थ रूप से रू0 600.00 करोड़ (रूपये छः सौ करोड़ मात्र) का भुगतान भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर के माध्यम से अन्तर्राज्यीय समायोजन द्वारा उत्तराखण्ड सरकार को किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- उपर्युक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें) के अधीन लेखाशीर्ष ''2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ-01-सिविल-800-अन्य व्यय-10-उ0 प्र0 राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत पेंशन दायित्वों के प्रभाजन के फलस्वरूप उत्तराखण्ड सरकार को देय राशि-33- पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ'' के नामे डाला जायेगा।

(नील रतन कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-10 /2019-सा-3-237(1)/दस-2019-308(9)/2000 टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2- प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
3- प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
5- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- निदेशक, पेंशन उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in